૩૦/૪/૧૫	પગી. ઉષા હમીરભાઈ રૂપો વાદ વાળી ઝુલાવિયા ગયેલ ડિગ્રીરાખ્યા ગાળા ની માહિતી- મુલાકાત લેવાયેલી શામિલ પગી. ની પગી. જોરાભાઈ ધુમાર ભેગા સાથે ઉપસ્થિત

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान अंकित बनाम प्रकाशचंद वगैरा

दावा वाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 147 / 2016

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

आराजी खसरा नंबर 913 रकवा 0.22, 914 रकवा 0.27, 915 रकवा 0.14, 916 रकवा 0.22 किता 4 रकवा 0.85 हैक्टेयर व आराजी खसरा सं. 65 रकबा 0.44, 249 रकवा 0.14, 413 रकवा 0.13 किता 3 रकवा 0.71 हैक्टेयर वाके ग्राम शाहपुर तहसील नदवई पर स्थित है, पर वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ वाहिस्सा वरावर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 प्रकाशचंद के नाम हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बाबत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30.04.2024 .... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत———— (हस्ताक्षर) 30/4/24

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक नदबई (भरतपुर) राज

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक नदबई (भरतपुर) राज.)

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(हस्ताक्षर) 30/4/24

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

1. अंकित उम्र 7 साल पुत्र प्रकाशचंद नाबालिग बली सरपरस्त माता रा[illegible] प्रकाशचंद जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. कोमल उम्र 9 साल पुत्री प्रकाशचंद नाबालिग बली सरपरस्त माता राधा [illegible] प्रकाशचंद जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
3. प्रियंका उम्र 11 साल पुत्री प्रकाश चंद नाबालिग बली सरपरस्त माता राधा [illegible] प्रकाशचंद जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. प्रकाशचंद पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।
4. महेश चंद पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
5. मिहीलाल पुत्र गंगाधर जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
6. हरनाम सिंह पुत्र पूना जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
7. किशन पुत्र जीवन जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
8. फत्तेह पुत्र जीवन जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
9. पीतम पुत्र जीवन जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
10. ग्यासो बेवा मानसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
11. भीमसिंह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 147 / 2016
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 30.04.2024

1. अंकित उम्र 7 साल पुत्र प्रकाशचंद नाबालिग बली सरपरस्त माता राधा पत्नी प्रकाशचंद जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. कोमल उम्र 9 साल पुत्री प्रकाशचंद नाबालिग बली सरपरस्त माता राधा पत्नी प्रकाशचंद जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
3. प्रियंका उम्र 11 साल पुत्री प्रकाश चंद नाबालिग बली सरपरस्त माता राधा पत्नी प्रकाशचंद जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. प्रकाशचंद पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।
4. महेश चंद पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
5. मिहीलाल पुत्र गंगाधर जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
6. हरनाम सिंह पुत्र पूना जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
7. किशन पुत्र जीवन जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
8. फत्तेह पुत्र जीवन जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
9. पीतम पुत्र जीवन जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

30/4/24

10. ग्यासो बेवा मानसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

11. भीमसिंह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री जगदीश चंद एड0(वादीगण)

निर्णय दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादीगण नाबालिग है। जिनकी ओर से बली सरपरस्त माता राधा को बनाया गया है। जिसके हित नाबालिग के विपरीत नहीं है। बाकिया पक्षकारान बालिग तथा स्वस्थ्य चित्त है। तथा दावा लडने में सक्षम है।
2. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 913 रकबा 0.22, 914 रकबा 0.27, 915 रकबा 0.14, 916 रकबा 0.22 किता 4 रकबा 0.85 हैक्टेयर व आराजी खसरा सं. 65 रकबा 0.44, 249 रकबा 0.14, 413 रकबा 0.13 किता 3 रकबा 0.71 हैक्टेयर वाके ग्राम शाहपुर तहसील नदबई पर स्थित है।
3. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र की आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सम्मिलित खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर आराजी के पैतृक होने से वादीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है।
4. यह कि विवादित आराजी पैतृक संपत्ति की आराजी है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। चूंकि विवादित आराजी के वाहिद इन्द्राजात खातेदारी कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी

30/4/24

संख्या 1 के नाम चले आ रहे हैं। जिससे प्रतिवादी सं. 1 जो कि शराबी व अय्याश किस्म का व्यक्ति है विवादित आराजी को रहन वयमुन्तकिल कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है।जिससे वादीगण को शक्तहक तलफी है। तथा वादीगण के हक हकूको पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित आराजी में प्रतिवादीगण स. 1 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाकर वादीगण को प्रतिवादीगण स. 1 के साथ मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा उसी अनुरूप रिकार्ड में अंकन किया जावें।

5. यह है कि प्रतिवादी स. 1 द्वारा वादीगण को ग्राम शाहपुर पर ऐलानिया धमकी दी गई कि आराजी से बेदखल कर देगें तथा रहनबय कर देगें। जबकि ऐसा करने का कोई अधिकार नही है।

6. अत प्रार्थना की विवादित आराजी प्रतिवादी स. 1 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्रजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ–साथ वाहिस्सा बराबर खातेदार कश्तकार घोषित किया जावें।

7. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 11 नोटिस तामील बावजूद भी न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

8. यह कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संबत 2067–69, 2073–76 वाके ग्राम शाहपुर एवं नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 व 2060 वाके ग्राम शाहपुर , नकल भू प्रबंधक विभाग वाके ग्राम शाहपुर संवत 2028, नकल सैटलमेंट विभाग

30/4/24

वाके ग्राम शाहपुर संवत 2028 पेश की गई एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में राधा उर्फ कृष्णा पत्नी प्रकाशचंद जाति जाट निवासी शाहपुर एवं बृजेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी सकतपुर तहसील किरावली उ0प्र0 पेश किए गए।

यह कि प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2069–72,2073–76, वाके ग्राम शाहपुर पर विवादित आराजी खसरा नंबरान पर प्रतिवादी संख्या 1 प्रकाश चंद पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा नकल जमाबन्दी सैटलमेट संवत 2028 में वादीगण के बाबा निहालसिंह के नाम विवादित आराजी खसरा नम्बरान पर खातेदारी का अंकन हो रहा है। एवं नकल भूप्रबंध विभाग में भी वादीगण के बाबा निहालसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकन है इस प्रकार उक्त विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजो कि आराजी है जो कि विरासतन से वादीगण के पिता प्रकाशचंद पुत्र निहालसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार पैतृक आराजीयात की भूमि में वादीगण को जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 प्रकाशचंद के नाम चले आ रहे खातेदारी इन्द्राजात काबिल कलमजन के है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना उचित है।

30/4/24

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नंबर 913 रकबा 0.22, 914 रकबा 0.27, 915 रकबा 0.14, 916 रकबा 0.22 किता 4 रकबा 0.85 हैक्टेयर व आराजी खसरा सं. 65 रकबा 0.44, 249 रकबा 0.14, 413 रकबा 0.13 किता 3 रकबा 0.71 हैक्टेयर वाके ग्राम शाहपुर तहसील नदबई पर स्थित है, पर वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 प्रकाशचंद के नाम हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

नदबई (भरतपुर) राज.

30/4/24

([illegible] R.A.S.)

सहायक कलक्टर, नदबई

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज